

20.11.2025

पञ्चवली पेरा) पञ्चलप उपस्थित। उच्चपत्र  
अधिवक्ता की बहस लुती गरी। प्राप्तिगण  
अधिवक्ता द्वारा बहस में प्राप्तिगण पर  
के कथनों को दोहराते हुए बताया कि  
प्राप्तिगण की आवेदारी व मालिकता दफ्तरी  
दस्तावेजों की आराजी गौजा विष्णुगार  
के खसरा नम्बर 86 रकबा 1.40 हेक्टेयर  
अथवा प्राप्तिगण का पीसीपी व सहायक व शंतिपूर  
निर्वाह रूप से दस्तावेज निरन्तर चला आ  
रहा है। लेकिन अभी उक्त निवासी भूमि की  
कीमत में शक्ति होने से प्राप्तिगण में-इन  
उत्कारण जबरन प्राप्तिगण को बेहतर करना  
चाहते हैं अतः शून्य वाद में निम्नलिखित तथ्य



(11/11)

सहायक कलेक्टर, सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

अध्यापक निवेद्यता जारी करमाथे वि जाप्रीगण की उम्ह  
भारती के कडाप्रीगण दखलदारी न हो सके करे व  
न ही अन्य रिती के करायें।

अध्यापी सेव्या के अखिवगल हारा बहान  
में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए अपन  
रिमा कि विवादीत आराजी के जाप्रीगण का  
कोई कबला कारर नही है। कबला कारर  
अध्यापी का पूराता लेने से रफरारनामा के जामि  
सेविबल कबला प्रकृ रिपा गया पा। निसे  
अध्यापी प्रतिकूल कबले के आधार पर मासिकु बन  
सूका है अरः जाप्रीगण अध्यापी निवेद्यता प्रकृ  
करने के अधिकारी मही होने से जाप्रीगण का  
प्रार्थना पत्र प्रप खची ख्वारिज करमाथे।

उमने पञ्जावली व सेलवन दस्तावेजो का  
अवलोकन रिपा, बहस तथ्यों पर मनन करने  
पर पापा कि दस्तगत उकरण में विवादीत  
आराजी खसरा सेव्या 86 खबा 1.40 हेक्टर  
राजस्व सेवही में जाप्रीगण व सीपो पति अपन  
के नाम दर्ज है। अध्यापी सेव्या के अरु आराजी  
में ख्वारिज नही है तथा जाप्रीगण का  
भी प्रार्थना पत्र के सभी सहखारिदारी का  
पक्षकार नही बनाया गया है तथा उम्ह  
आराजी के जाप्रीगण ही ख्वारिज है।  
अरु उकरण में अध्याप्रीगण के विरुद्ध अल्पक  
निवेद्यता रिपा जाना उचित नही समझता  
है। ऐसी ख्वारि में जाप्रीगण का प्रार्थना  
पत्र ख्वारिज रिपा जाता है पञ्जावली  
केसल सुमार होकर उम्ह है उम्ह  
है। निर्णय सरे सुनलास सुनाया गया।

(पुनी)  
सहायक कलेक्टर, संग्रौर  
(उपखण्ड अधिकारी, संग्रौर)